्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

ावा सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
50	1.7.13	6.4.22

उनवान

अब्दुल रहमान उम्र 70 साल पुत्र सुल्ला जाति मेव निवासी बाघोडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।
ईसाक पुत्र अब्दुल मजीद जाति मेव निवासी बाघोडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर।
इस्लाम पुत्र अब्दुल मजीद जाति मेव निवासी चौंडावता तह0 किशनगढबास जिला अलवर
. ममूल खां पुत्र अब्दुल मजीद जाति मेव।
. साहून खां पुत्र अब्दुल मजीद ।
. सहरून खां पुत्र अब्दुल मजीद खां जाति मेव निवासी ग्राम बाघोडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—वादीगण

बनाम

. लिक्खी पुत्र सुलतान ।
लच्छो पुत्री सुल्तान
चमेली बेवा रामजी लाल जाति चमार निवासी चौडावता हाल आबाद इन्द्रा कॉलोनी बासडा रोड किशनगढबास जिला अलवर।
हीरालाल पुत्र इतवारी
सम्पत पुत्र बुद्धा जाति चमार निवासी मानोठडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर ।
लालचन्द पुत्र हब्बू
दिनेश पुत्र किशनलाल
रेखा पुत्री किशनलाल
ममता पुत्री किशनलाल
बाला बेवा किशनलाल जाति चमार निवासी चौंडावता हाल आबाद बास कृपाल नगर तह0 किशनगढबास जिला अलवर ।
राजेश पुत्र प्यारेलाल
संजय पुत्र प्यारेलाल
चमेली पुत्री कुठरू
कांटूला पुत्र हीरालाल
अमरसिंह पुत्र रतना
रामस्वरूप पुत्र रामलाल जाति चमारान निवासी ग्राम चौंडावता हाल आबाद मुबारिकपुर तह0 रामगढ जिला अलवर ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दीपचंद
राकेश पुत्रान किशन सहाय
काशा बाई बेवा किशन सहाय
रोहिताश
सूरज
अनील
पवन पुत्रान किशन सहाय
सम्पति पुत्री किशन सहाय
मूर्ति पुत्री किशन सहाय नाबालिंगान जर्ये सरपरस्त माता खुद काशा बाई बेवा किशन सहाय।
बसन्ती बेवा अमीलाल
हरसहाय
फकीरा
कुन्दन पुत्रान मठू
बस्सी
इमरती पुत्रीयान मठू
सोनी
बनिया पुत्रान रामरतन
रामकली
मोटी पुत्रीयान रामरतन
बुद्धी
हीरू
रामचन्दर
बूदर सिंह पुत्रान देवी सहाय
कृष्ण
गुलाब पुत्रान लक्ष्मण
सोहनलाल पुत्र बेगु
रामजीलाल
गोरधन पुत्रान लीला
चुन्नीलाल
प्यारेलाल पुत्रान मंगलिया
चम्पी पुत्री मंगलिया
छुटना
लल्लू पुत्रान सग्गू
बुद्धा पुत्र छज्जू
श्रीपाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

. संजय पुत्रान कन्हैया
. धनकोरी बेवा कन्हैया
. रामकिशन
. कंवरचन्द
. तुन्नी
. बाबूलाल
. छुट्टन
. बड्डन पुत्रान रामकंवार
. पांची पुत्री रामकंवार
. धनकोरी बेवा रामकंवार
:. रामपत
3. बुद्धा
4. परभाती
5. गंगा पुत्रान मनिया जाति कुम्हार निवासी चौंडावता तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।
6. राज्य सरकार जर्ये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रतिवादीगण

दावा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0 1955

उपस्थितिः—1. श्री कमरूदीन वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादी की ओर से श्री दमन यादव एकबाल जवाब
व एक पक्षीय कार्यवाही

<u>निर्णय</u>

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

वकील वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी साबिक ारा सं0 82 मिन 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा सं0 212 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम ावता तह0 किशनगढबास जिला अलवर पैमूद हुए है। जो आराजी प्रस्तुत वाद में ादित आराजी कहलावेगी । वास्ते मुलाहिजा नकल मीलान क्षेत्रफल हमराह वादपत्र विवादित आराजी मिन वादी सं0 1 व मिन वादी सं0 1 के भाई वादी सं0 2 लगायत 6 के हूम पिता श्री अब्दुल मजीद की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी जिस पर दोनो बेज व दखिल होकर काश्त कारोबार किया करते थे । जिनके नाम का अमल दरामद ास्व रिकार्ड साबिक में हो रहा है। मुलाहिजा हेतु नकुलात संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

– डिक्री इज्राय इश्तकरारहक बहक वादीगण विरूद्ध प्रति0 पारित की जाकर घोषित किया
ावे कि आराजी हाल खसरा सं0 212 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम चौंडावता तह0
िशनगढबास जिला अलवर के 1/2 भाग का वादी सं0 वे 1/2 भाग के वादी सं0 2
गायत 6 काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है तथा जो अंकन तन्हा प्रतिवादीगण व इनके
ुर्गान के नाम का सं0 2029 ता हाल आया है वो सरीहन गलत है हकूक वादीगण के
रूद्ध बातिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज राजस्व
कार्ड किया जावे।

– जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी
जब्रन वादीगण को बेदख लना करे, ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा
रे, ना ही वादीगण की बोई हुई व कुदरती पैदावार को नष्ट भ्रष्ट करे, ना ही आराजी का
ोई जुज किसी भी दीगर सख्स को रहन बैया हिबा लीज इत्यादि द्वारा मुन्तकिल करे।
ाजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

– खर्चा हरजा मुकदमा का वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

– दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादीगण बख्सी जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस
लब किया गया। प्रतिवादी सं0 3,6 लगा010, 13, 17, 18, 19, 21 लगा0 25, 27, 30, 31,
46, ने इकबाल जवाब दावा पेश किया । तथा शेंष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना
स्थिति नही हुए उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील
दी ने साक्ष्य हेतु स्वंय का शपथ पत्र पीडब्लू –1, तथा पीडब्लू–2 पेश किया ।
था दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श –1 जमाबंदी संवत 2002, प्रदर्श– 2 जमाबंदी संवत 2010,
दर्श–3 जमाबंदी संवत –2014–18, प्रदर्श–4 जमांबदी संवत 2018 से 21, प्रदर्श– 5
माबंदी संवत 2015 से 18, प्रदर्श– 6 नकल खसरा गिरदावरी संवत 2019–22, प्रदर्श –7
कल खसरा गिरदावरी सवत 2011 लगा0 14, प्रदर्श– 8 नकल मिलान क्षेत्रफल 2029,
दर्श–9 नकल बंदोबस्त संवत 2029 , प्रदर्श –10 नकल बंदोबस्त, प्रदर्श–11 हाल
माबंदी सं0 2068–71 शपथ पत्र पेश कियें ।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद में अंकित तथ्यो
दोहराते हुए बताया कि आराजी हाल खसरा सं0 212 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम
डावता तह0 किशनगढबास जिला अलवर के 1/2 भाग का वादी सं0 वे 1/2 भाग के
दी सं0 2 लगायत 6 काबिज काश्त खातेदार काश्तकार है तथा जो अंकन तन्हा
तिवादीगण व इनके बुजुर्गान के नाम का सं0 2029 ता हाल आया है वो सरीहन गलत है
कूक वादीगण के विरूद्ध बातिल व बेअसर है जिसे हजफ किया जाकर वादीगण को
ातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन या जमाबंदी संवत 2002 में अब्दुल मजीद वगै0 मु0 खाता 140 के निस्फ व सलेम पुत्र खां निस्फ दर्ज है। प्रदर्श– 2 जमाबंदी संवत 2010 ख0न0 82 रकबा 19 बिस्वा में दुल मजीद वगै0 निस्फ मु0 खाता सं0 44 सलेम निस्फ लिखा हुआ है जिसमें यह बित होता है कि खाता सं0 40 व 44 के अनुसार मजीद व रहमान बराबर–बराबर के स्सेदारान है। तथा जमाबंदी संवत 2014 से 2018 में भी मजीद वगै0 निस्फ सलेम निस्फ र्ज है।जमाबदी संवत 2018 से 2021 ख0न0 82 मिन 4 बिस्वा में छोटा वगै0 मु0 खाता नं0 9 कृषक अब्दुल मजीद व अब्दुल रहमान अंकित है। तथा ख0न0 82 मिन 15 बिस्वा मु0 ल्ली कुवंर बेवा होलासिंह सिकलीगर सा0 देह अलोटी दर्ज है। तथा खसरा गिरदावरी में वादीगण व बिल्ली कवंर की काश्त दर्ज है।लेकिन जमाबंदी संवत 2029 संवत 2029 में तेवादीगण छोटा पुत्र टुण्डल वगै0 पटटेदारन आराजी विवादित पर प्रतिवादीगण का न्द्राज किस आदेश से दर्ज किया का अंकन जमाबंदीयात में सैटलमेंट द्वारा नही किया या। चूकि पूर्व में आराजी विवादित पर वादीगण खातेदारी में चली आ रही है। वादीगण ो आराजी कस्टोडियन नही है। क्योकि संवत 2002 से सवंत 2029 तक वादीगण की ब्जा काश्त आराजी रही है। इस पर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत नियमावली बोंर्ड आफ न्यू राजस्थान अजमेर श्री एमएल.जैन मैम्बर, श्री एके. पुरोहित जैन सदस्य उनवान उदा ाम टुका अपील डिक्री न0 53/चितोडगढ 2001 निर्णय 24. फरवरी 2003 पेश किया , ा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने उनवानी वाद गंगाधर बनमा ों खण्ड पीठ श्री एच एस पुनिया सदस्य श्री एमएल जैन सदस्य द्वारा पारित निर्णय नांक 25.6.2002 पेश की है। तथा ट्रांसफर आफ प्रापर्टी एक्ट 1882 के सैक्शन 6 की ा 5 में संपति के अंतरण की परिभाषा में धारा 6 की परिभाषानुसार एवं वादीगण द्वारा तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य से साबित है कि वादीगण आराजी विवादित पर आज भी बेज काश्तकार है लेकिन संटमेंन्ट को कोई हक या अधिकार प्राप्त नही की जमाबंदीयात मे किसी व्यक्ति विशेष का नाम कलमजन कर अन्य किसी को खातेदार या गैरखातेदार ोत कर दे। अतः दावा वादी काबिल डिक्री करार पाता है। अतः वादीगण का वाद डिक्री ा जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

: आदेश है कि :–

वादी वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आ0ख0न0 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम चौडावता तहसील किशनगढबास के 1/2 भाग का वादी व 1/2 भाग का वादी सं0 2 लगा0 6 काबिज काश्त खातेदार काश्तकार घोषित ा जाता है तथा हाल जमाबंदी में जो अमल प्रतिवादीगण का हो रहा है उसे कलमजन ा जााता है राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की हो। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है विवादित आराजी की कब्जाकाश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। राजस्व ार्ड में मौका की यथावत स्थिति कायम रखें। पर्चा डिक्री जारी हो । खर्चा फरीकेन ना– अपना वहन करेगे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः– श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

दायर दिनांक | निर्णय दिनांक
सं0 1.7.13 | 6.4.22

उनवान

द्दुल रहमान उम्र 70 साल पुत्र सुल्ला जाति मेव निवासी बाघोडा तह0 किशनगढबास
ला अलवर राज0।
ाक पुत्र अब्दुल मजीद जाति मेव निवासी बाघोडा तह0 किशनगढबास जिला अलवर।
लाम पुत्र अब्दुल मजीद जाति मेव निवासी चौंडावता तह0 किशनगढबास जिला अलवर
ूल खां पुत्र अब्दुल मजीद जाति मेव।
हून खां पुत्र अब्दुल मजीद ।
हरून खां पुत्र अब्दुल मजीद खां जाति मेव निवासी ग्राम बाघोडा तह0 किशनगढबास
ला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

ख्खी पुत्र सुलतान ।
पुत्री सुल्तान
ली बेवा रामजी लाल जाति चमार निवासी चौडावता हाल आबाद इन्द्रा कॉलोनी
सडा रोड किशनगढबास जिला अलवर।
ालाल पुत्र इतवारी
गत पुत्र बुद्धा जाति चमार निवासी मानोठडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर ।
मचन्द पुत्र हब्बू
श पुत्र किशनलाल
पुत्री किशनलाल
ा पुत्री किशनलाल
बेवा किशनलाल जाति चमार निवासी चौंडावता हाल आबाद बास कृपाल नगर तह0
नगढबास जिला अलवर ।
श पुत्र प्यारेलाल
य पुत्र प्यारेलाल
ी पुत्री कुठरू
ला पुत्र हीरालाल
सिंह पुत्र रतना
स्वरूप पुत्र रामलाल जाति चमारान निवासी ग्राम चौंडावता हाल आबाद मुबारिकपुर
रामगढ जिला अलवर ।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

ापचंद
केश पुत्रान किशन सहाय
ाशा बाई बेवा किशन सहाय
हिताश
ूरज
नील
वन पुत्रान किशन सहाय
म्पति पुत्री किशन सहाय
ूर्ति पुत्री किशन सहाय नाबालिंगान जये सरपरस्त माता खुद काशा बाई बेवा किशन
हाय।
सन्ती बेवा अमीलाल
रसहाय
फकीरा
कुन्दन पुत्रान मठू
रसी
मरती पुत्रीयान मठू
ोनी
निया पुत्रान रामरतन
कली
टी पुत्रीयान रामरतन
द्धी
ारु
मचन्दर
दर सिंह पुत्रान देवी सहाय
ृष्ण
लाब पुत्रान लक्ष्मण
ोहनलाल पुत्र बेगु
मजीलाल
रवन पुत्रान लीला
न्नीलाल
ारेलाल पुत्रान मंगलिया
म्पी पुत्री मंगलिया
टना
ल्लू पुत्रान सग्गू
द्दा पुत्र छज्जू
ापाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

जय पुत्रान कन्हैया
ाकोरी बेवा कन्हैया
ाकिशन
ारचन्द
नी
ब्रूलाल
ट्टन
ड़डन पुत्रान रामकंवार
ची पुत्री रामकंवार
ाकोरी बेवा रामकंवार
मपत
द्वा
ग्माती
गा पुत्रान मनिया जाति कुम्हार निवासी चौंडावता तह0 किशनगढबास जिला अलवर
ाज0।
ज्य सरकार जर्ये भूमिधारी श्रीमान तहसीलदार साहब, किशनगढबास जिला अलवर
ाज0।

:–प्रतिवादीगण

दावा 88,89,188 आर0टी0एक्ट0 1955

ि:–1. श्री कमरूदीन वादीगण की ओर से ।
2. प्रतिवादी की ओर से श्री दमन यादव एकबाल जवाब
व एक पक्षीय कार्यवाही

पर्चा डिकी

ादी वादीगण वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है कि आ0ख0न0 कवा 10 बिस्वा वाके ग्राम चौडावता तहसील किशनगढबास के 1/2 भाग का वादी 1/2 भाग का वादी सं0 2 लगा0 6 काबिज काश्त खातेदार काश्तकार घोषित नाता है तथा हाल जमाबंदी में जो अमल प्रतिवादीगण का हो रहा है उसे कलमजन नाता है राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की हो। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है ादित आराजी की कब्जाकाश्त में मजाहमत व मदाखलत पैदा ना करें। राजस्व में मौका की यथावत स्थिति कायम रखें। खर्चा फरीकेन अपना– अपना वहन करेगे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)